



॥ ओ३या ॥

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय) हरिद्वार  
(यू०जी०सी० एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत समविश्वविद्यालय)  
Gurukula Kangri (Deemed to be University) Haridwar  
(Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

Ref. G.K.(DU) Accounts/23-24/TDS/342

Date 27/12/2023


कार्यालय सूचना

Furnishing of evidence of claims by employee for deduction of tax under section 192.


26C. (1) The assessee shall furnish to the person responsible for making payment under sub-section (1) of section 192, the evidence or the particulars of the claims referred to in sub-rule (2), In Form No. 12 BB for the purpose of estimating his income or computing the tax deduction at source.

विश्वविद्यालय के समस्त आयकर योग्य शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर गणना की जा रही है। अतः आयकर की गणना हेतु आयकर फार्म 12 B.B. (As Per Rule 26C) में स्वयं से सम्बंधित आंकड़े भरकर लेखा अनुभाग में प्रत्येक अवस्था में 28.12.2023 से 15.01.2024 के मध्य तक जमा करा दें। इस सम्बंध में निम्नलिखित बातें ज्ञातव्य है-

1. सभी कर्मचारी फार्म नं० 12 B.B. में अपनी वचत/निवेश/ग्रह ऋण आदि की जानकारी भरकर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। फार्म 12 B.B. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. उपर्युक्त फार्म में सभी सूचानाएँ सम्यक प्रकार से भरें। गृह ऋण से सम्बंधित बैंक के प्रमाण पत्र तथा मकान किराये की रसीद व अन्य निवेश सम्बंधी प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जो उपलब्ध है, संलग्न करें। निवेश सम्बंधी प्रमाण पत्रों के अभाव में केवल निवेश की राशि अंकित कर फार्म उपलब्ध करा दें एवं प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि 31.03.2024 के उपरान्त 15.04.2024 तक उपलब्ध करा दें। गलत सूचना के लिए कर्मचारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. फार्म भरकर न जमा करने की स्थिति में आयकर कटौती सम्बंधित किसी भी असुविधा अथवा वेतन से कम या अधिक कटौती के लिए कर्मचारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
4. आयकर गणना सम्बंधी सहायता के लिए कर्मचारी किसी भी कार्यदिवस में लेखा अनुभाग में एडवोकेट जयदेव गौड़ से पूर्वाहन 11:00 से 1:00 बजे के मध्य व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर सकते हैं।

  
वित्ताधिकारी

1. मान्य कुलपति जी
2. कुलसचिव जी
3. कोर्डिनेटर कन्या गुरुकुल हरिद्वार/देहरादून
4. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
5. निदेशक - पुरातत्व संग्रहालय / शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग
6. अध्यक्ष - केन्द्रीय पुस्तकालय / कम्प्यूटर केन्द्र
7. समस्त अनुभाग अधिकारी, जनसम्पर्क अधिकारी, सम्पदाधिकारी, उद्यान अधिकारी, समन्वयक एस.सी. / एस.टी.सेल, आई.क्यू.ए.सी. सेल

  
वित्ताधिकारी

**FORM NO.12BB**

(See rule 26C)

1. Name and address of the employee:			
2. Permanent Account Number of the employee:			
3. Financial year:			
<b>Details of claims and evidence thereof</b>			
Sl No.	Nature of claim	Amount (Rs.)	Evidence / particulars
(1)	(2)	(3)	(4)
1	House Rent Allowance: (i) Rent paid to the landlord (ii) Name of the landlord (iii) Address of the landlord (iv) Permanent Account Number of the landlord  Note: Permanent Account Number shall be furnished if the aggregate rent paid during the previous year exceeds one lakh rupees		
2	Leave travel concessions or assistance		
3	Deduction of interest on borrowing: (i) Interest payable/paid to the lender (ii) Name of the lender (iii) Address of the lender (iv) Permanent Account Number of the lender (a) Financial Institutions(if available) (b) Employer(if available) (c) Others		
4	Deduction under Chapter VI-A (A) Section 80C,80CCC and 80CCD (i) Section 80C (a) ..... (b) ..... (c) ..... (d) ..... (e) ..... (f) ..... (g) ..... (ii) Section 80CCC (iii) Section 80CCD (B) Other sections (e.g. 80E, 80G, 80TTA, etc.) under Chapter VI-A. (i) section..... (ii) section..... (iii) section..... (iv) section..... (v) section.....		
<b>Verification</b>			
I,.....,son/daughter of..... do hereby certify that the information given above is complete and correct.			
Place.....		(Signature of the employee) Full Name	
Date.....			
Designation .....			